DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA
SAGAR – 470 003 (M.P.)
(Central University)

वित्त समिति की प्रथम बैठक का कार्यवाही विवरण

Minutes of first Meeting of Finance Committee

तारीख एवं समय 10 अप्रेल 2010 प्रातः 11 बजे

Date & Time 10 April 2010 At. 11.00 A.M.

स्थानः– कदम्ब हाल, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली

Kadamba Hall, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi

Assistant Registrar Accounts

Dr. H.

वित्त समिति की प्रथम बैठक का कार्य विवरण, 10 अप्रेल 2010 बजे, स्थान– इंडिया हैबीटेट सेन्टर, नई दिल्ली

वित्त समिति के सम्मानीय सदस्यः–

1. प्रो. एन.एस गजभिए कुलपति, अध्यक्ष
2. श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, एम.एच.आर.डी., नई दिल्ली (सदस्य)
3. श्री नवीन सोई, संचालक, उच्च शिक्षा विभाग एम.एच.आर.डी., नई दिल्ली (सदस्य)
4. श्री शकील अहमद, उपसचिव, यू.जी.सी. नई दिल्ली (सदस्य)
5. प्रो. के.सी. जैन, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ एच.एस. गौर यूनिवर्सिटी सागर (सदस्य)
6. श्री जे.पी. सिंह, कुलसचिव, आइसर, मुहाली चंड़ीगढ़ (सदस्य)
7. श्रीमति बीनू सैन, पूर्व सचिव भारत सरकार (सदस्य)
8. श्री पी.एन. सिंह वित्ताधिकारी – सचिव, वित्त समिति (Ex. Officio)

समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे । केवल श्री शकील अहमद, उपसचिव, नई दिल्ली अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित थे ।

आरंभ में वित्त समिति के अध्यक्ष प्रो. एन.एस. गजभिए, कुलपति डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा वित्त समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया । कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की स्थापना केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 15 जनवरी 2009 से की गई । इस विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर डॉ. आर. के सचान एवं वित्त अधिकारी डॉ. गवई की नियुक्ति हुई । डॉ. सचान ने अपनी उपस्थिती दी और कुछ दिनों त्याग पत्र देकर चले गये । डॉ. गवई आज दिनांक तक अपने पद पर उपस्थित ।

माननीय कुलपति अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्त समिति की कार्यवाही गई ।

Assistant Registrar Accounts
Dr. H

प्रस्ताव क्र. 1 नान प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 का बजट इस्टीमेट का अनुमोदन ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति ने निर्णय लिया कि इस बजट में प्रस्तुत 142 करोड़ रूपयों का जो प्रावधान किया गया है वह नान प्लान के अतंर्गत नहीं आता, वह प्लान के अन्तर्गत आता है । अतः उसे पृथक से प्लान के बजट के साथ प्रस्तुत किया जाय । शेष बजट अनुमान का वित्त समिति अनुमोदन करती है । वित्त समिति ने यह भी सुझाव दिया कि श्री जी.पी. सिंह कुलसचिव, आइसर मुहाली चंढ़ीगढ़ को बुलाकर इस संशोधित बजट को तैयार कर वित्त समिति के सदस्यों को प्रेषित कर दिया जावे । पृथक से वित्त समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। पेपर लगाकर अपने कमेंट के साथ भेजा जाये ।

प्रस्ताव क्र. 2 अधिकारियों को वित्तीय अधिकार सौंपने बाबत् ।

1. कुलपति महोदय,
2. डीन्स ऑफ स्कूल्स
3. कुलसचिव,
4. वित्त अधिकारी
5. विभागाध्यक्ष
6. और दूसरे अधिकारियों के लिये

कुलपति महोदय, डीन्स ऑफ स्कूल्स, कुलसचिव, वित्ताधिकारी तथा विभागाध्यक्षों को क्या वित्तीय अधिकार दिया जाये इस पर एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया । इस संबंध में वित्त समिति ने कहा कि पहले अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से वित्तीय शक्तियों की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन करा लिया जाये इसके बाद समिति का गठन कर वित्तीय अधिकार आबंटित किया जावे ।

Assistant Registrar Accounts
Dr. H.S. Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M.P.)

प्रस्ताव क्रं. 3 वित्तीय नियम एवं मैनुअल का निर्माण ।

प्रस्ताव क्रमांक 3 के संबंध में वित्त समिति ने यह सुझाव दिया कि क्रय नियमों एवं मैनुअल का प्रारूप तैयार किया जावे तेदउपरांत उसे स्वीकृत हेतु वित्तीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

प्रस्ताव क्रं. 4 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक सैटअप को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखि क्रय समितियों के गठन पर विचार ।

1. विभागीय क्रय समिति
2. अधिष्ठाता के स्तर पर क्रय समिति :

क्रमांक 1 और 2 के लिये निम्नानुसार समिति गठित होगी ।

1- Deans School (Chairman)
2- Hod (Member)
3- One Professor from Department (Specialist)
4- FO or his nominee
5- Registrar or his nominee
6- Audit officer or his nominee

3. विश्वविद्यालय स्तर पर क्रय समिति :

विश्वविद्यालय स्तर पर क्रय समिति निम्नानुसार गठित होगी ।

1- Vice Chancellor or his nominee Administration Dean (Chairman)
2- School Deans (Member)
3- Hod (Member)
4- Fo (Member)
5 - Registrar (Member)
6 - Audit Officer (Member)

प्रस्ताव क्रमांक 4 के विषय में वित्तीय समिति ने यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समान प्रारूप तैयार कर वित्त समिति के क्रय समितियों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

Assistant Registrar Accounts
Dr. H. S. Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M. P.)

प्रस्ताव क्रं. 5 शिकायत निवारण एवं उसके समाधान हेतु उच्च हाई पावर कमेटी का गठन ।

1. कर्मचारियों की पदोन्नति
2. वेतन निर्धारण
3. वरिष्ठता सूची का निर्धारण आदि

प्रस्ताव क्रं. 5 के संबंध में वित्तीय समिति ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति, वेतन निर्धारण वरीयता क्रम निर्धारण आदि को विवाद जो विश्वविद्यालय में निर्णय हेतु लंबित हैं उन पर एक समिति बनाकर एम. एच.आर.डी. तथा यू.जी.सी. के निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जावे इसके पश्चात निर्णय को वित्त समिति में एवं कार्यकारिणी समिति में अनुमोदन हेतु क्रमशः लाया जावे । विश्वविद्यालय जिस हाई पावर शिकायत निवारण समिति के गठन करे उसमें दो विशेषज्ञों यू.जी.सी. या किसी अन्य विश्वविद्यालय के सदस्य बना लें ।

निवारण समिति के सदस्य

Grievance Redrassal Cell

1. Prof. Smita Banerjee- Chairman
2. Prof. Santosh Shukla - Member
3. Finance Officer-Member
4. Shri A.K. Tiwari- Member
5. Dr.N. Maitra, Dy. Rigistrar (Estt.)- Member Secretary

प्रस्ताव क्रं. 6 भवन निर्माण विभाग को वित्तीय पावर सौंपने के संबंध में ।

प्रस्ताव क्रं. 6 के विषय में वित्त समिति ने कहा कि भवन निर्माण कार्य के लिये वित्तीय पावर आबंटित करने के पूर्व पद मांगना अधिक आवश्यक है, इसमें सी.पी.डब्ल्यू.डी. के व्यक्तियों को भी प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है । इसके लिये संपूर्ण प्रारूप तैयार कर वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

Assistant Registrar Accounts
Dr. H. S Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M. P.)

प्रस्ताव क्रं. 7, लगभग 150 न्यायालीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के संबंध में ।

इस संबंध में वित्त समिति ने कहा कि विभिन्न अदालतों में चल रहे प्रकरणों की सूची वर्गीकृत तैयार की जावे कि कहाँ पर कितने प्रकरण किस प्रकार के चल रहे हैं । विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से स्वीकृति लेकर इस कार्य हेतु विधिक सलाहकार नियुक्त कर लिया जावें तथा विश्वविद्यालय के हित में होगा कि वह माननीय उच्च न्यायालय में केबीएट लगाकर रखें।

प्रस्ताव क्रं. 8 संविदा शिक्षकों को पूर्व में दिये जा रहे मानदेय 12000.00 रूपये से बढ़ाकर 25000.00 रूपये प्रतिमाह दिये जाने के संबंध में ।

1. उक्त भुगतान वचन पत्र लेकर किया जा रहा है जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

वित्त समिति ने सुझाव दिया कि संविदा शिक्षकों के संबंध में प्रस्ताव क्रं. 7 के अनुसार कार्यवाही की जावे, तथा अनिवार्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय में जबाव प्रस्तुत किया जावे ।

प्रस्ताव क्रं. 9 सेवा निवृत्ति पर दिये जाने वाले पेंशन संबंधी लाभ, ग्रेजुयटी, प्रावीडेंट फन्ड, एफ.बी.एल.आई.सी. आदि का लाभ दिये जाने के संबंध में ।

उक्त प्रस्ताव के विषय में वित्त समिति ने कहा कि 15.01.2009 से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन लाभ, ग्रेजुयटी, प्रावीडेंट, फन्ड, एफ. बी.एल.आई.सी. के संबंध में विश्वविद्यालय को ही नियम बनाना है । यू.जी.सी. द्वारा इस मद में स्वीकृति राशि को पेंशन फन्ड में स्थानांतरित किया जाना है जब तक विश्वविद्यालय के नियम नहीं बनते तब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आंशिक रूप से भुगतान कर दिया जावे । इस कार्य के लिये वित्त अधिकारी को अधिकृत किया जा सकता है ।

Assistant Registrar Accounts
Dr. H. S. Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M. P.)

प्रस्ताव क्रं. 10 विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को जैसे वार्डन, प्राक्टर, सिक्यूरिटी आफीसर 2000.00 रूपये प्रतिमाह मानदेय देने तथा किराया मुक्त आवास व्यवस्था के संबध में ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति ने यह निर्णय लिया कि केवल छात्रावास के मुख्य वार्डन तथा वार्डन को ही सुविधा प्रदान की जा सकती है अन्य को नहीं । मुख्य वार्डन को 2000.00 रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाना स्वीकृत किया गया तथा वार्डन को 1500.00 रूपये प्रतिमाह मान देय देना स्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव क्रं. 11 विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों को भरने के संबंध में ।

उक्त प्रस्ताव के विषय में वित्त समिति ने यह निर्णय लिया कि रिक्त पदों पर नियुक्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए ।

प्रस्ताव क्रं. 12 विश्वविद्यालय के कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में ।

1. पूर्व में दिये जा रहे चिकित्सा प्रतिपूर्ति 500.00 रूपये प्रतिमाह दिये जाने के संबंध में ।
2. केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में ।

वित्त समिति ने निर्णय लिया कि 500.00 रूपये प्रतिमाह जो चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जावे । अप्रेल माह का वेतन जो मई माह में भुगतान होगा उसमें 500.00 रूपये मेडीकल क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जावेगा । वित्त समिति ने निर्णय दिया कि केन्द्रीय शासन के अनुरूप नियमानुसार जो पात्रता बनती है उसके अनुसार ही माह अप्रेल 2010 से चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जावे ।

Assistant Registrar Account
Dr. H. S. Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M.P.)

प्रस्ताव क्रं. 13 विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के संबंध में ।

वित्त समिति ने बोनस भुगतान के संबंध में कढ़ा रूख अपनाते हुए कहा कि जब राज्य शासन में बोनस की पात्रता नहीं थी तथा 15 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2009 तक इन कर्मचारियों को मात्र ढाई माह ही हुआ था तो ऐसी स्थिति में उनको बोनस की पात्रता नहीं थी । भुगतान किये गये बोनस की वसूली अभिलंब की जावे । जब वित्त समिति को अवगत कराया गया कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इस पर वित्त समिति ने सुझाव दिया कि अभिलंब कोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया जाये तथा एम.एच.आर.डी. तथा यू.जी.सी. के पत्र का उल्लेख किया जाये।

प्रस्ताव क्रं. 14 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के भुगतान के संबंध में ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का सुझाव है कि आउट सोर्ससिंग से कार्य कराया जाये तथा यू.जी.सी. के नियमों का पालन किया जाये, अतिरिक्त किये गये भुगतान की वसूली, शीघ्र की जाये कलेक्टर रेट से भुगतान होंगे ।

प्रस्ताव क्रं. 15 पांच अधिष्ठाताओं के नियुक्ति के संबंध में विचार ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति का कथन है कि यदि प्रशासनिक अधिष्ठाताओं (डीन) की नियुक्ति में कोई वित्तीय भार आता है तो वित्त समिति इसकी सूचना ग्रहण करती है । निर्णय का कार्य विश्वविद्यालय के स्वयं का है । वित्त समिति स्वीकृति नहीं कर सकती ।

Assistant Registrar Accounts
Dr. H. S. Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M. P.)

प्रस्ताव क्रं. 16 विश्वविद्यालय की बैठकों में आनेवाले बाह्य सदस्यों को मानदेय दिये जाने के संबंध में विचार ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न समितियों में आये बाहय सदस्यों को 2000.00 रूपये प्रति बैठक मानदेय दिया जावे, इसे सिद्धान्ततः स्वीकार किया जाता है, परन्तु यह देख लिया जाये कि अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में किन–किन समितियों के सदस्यों को कितना भुगतान किया जाता है । तदानुसार निर्णय लिया जाये ।

प्रस्ताव क्रं. 17 11 करोड़ रूपया विश्वविद्यालय द्वारा सी.पी..डब्ल्यू.डी. भोपाल को दिये जाने के संबंध में सूचना ग्रहण करने बाबत् ।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में वित्त समिति ने कहा कि वह सूचना ग्रहण करती है । भविष्य में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम दिये जाने के संबंध में कार्य का आंकलन एवं इस्टीमेट प्रस्तुत किया जाना चाहिये तब उस राशि का 30 प्रतिशत ही अग्रिम के रूप में दिया जाना चाहिये ।

- पूरक कार्यसूची के प्रस्ताव– क्रमांक 1 से लेकर 17 तक चर्चा करने के उपरांत निर्णय लिया गया कि इन प्रस्तावों को भी शिकायत निवारण हेतु गठित हाई पावर कमेटी में निर्णय हेतु रखा जाये । तदुपरांत वित्त समिति एवं कार्यपरिषद में लाया जाये ।

15.4.10
F.O.

Assistant Registrar Accounts
Dr. H. S. Gour Vishwavidyalaya
SAGAR (M. P.)